प्रेस नोट
दिनांक 22.03.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा को0नगर में जिला के उच्चाधिकारियों के साथ कि गयी गोष्ठी, अवैध टैक्सी/बस स्टैण्ड, यातायात, ई-रिक्शा संचालन से सम्बन्धित मार्गों का निर्धारण आदि प्रमुख्य पहलुओं पर समीक्षा कर निराकरण करने हेतु लिए गए सुझाव, आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये

आज दिनांक 22.03.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा को0नगर में जिला के उच्चाधिकारियों के साथ गोष्ठी की गयी। महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित उच्चाधिकारियों से अवैध टैक्सी/बस स्टैण्ड, यातायात, ई-रिक्शा संचालन सम्बन्धित मार्गों का निर्धारण, ठेलो/अतिक्रमण आदि प्रमुख्य पहलुओं पर समीक्षा कर निराकरण करने हेतु सुझाव लेकर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये

पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित समस्त विभाग से आये अधिकारी से विचार विमर्श के उपरान्त निर्देशित किया गया कि सभी वाहन परमिट व आवश्यक दस्तावेजो (रजिस्ट्रेशनए डी0एल0ए इंस्योरेंश) के साथ मानक के अनुरूप चलनी चाहिए। ई-रिक्शा के लिए मार्गो का निर्धारण के लिए चालको के साथ मीटिंग कर लिया जाये तथा एक प्रारूप तैयार कर सभी वाहन चालको से फार्म भरवाकर इसका सत्यापन करा लिया जाए। ई-रिक्शा से शहर के कस्बे/चौराहों पर लगने वाले जाम के स्थानों को चिन्हित कर लिया कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इ-रिक्शा का संचालन किस मार्ग से करना है किस मार्ग से नही करना है। ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों के बारे में अवगत/जागरूक किया जाए। जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसके बावजूद नियमों का उल्घन करने वालो के विरूद्ध चालान/सीज की कारवाही की जाए।

इसी प्रकार को0नगर क्षेत्र के अन्तर्गत गुरूनानक चौक, गुड्डूमल्ल चौराहा व जिला अस्पताल के आस पास ठेला लगाने वालों के साथ मीटिंग कर उन्हे अवगत करा दिया जाए कि अपना ठेला निर्धारित स्थान पर ही लगाये। जिससे शहर में जाम की समस्या उत्तपन न होने पाये । इन सभी से संवाद करके अन्तिम चेतावनी दे दी जाए यदि आप द्वारा निर्धारित स्थान पर ठेला नही लगाते है तो नियम के उल्लघन के सम्बंध में नोटिस दिया जाए। गुरूनानक चौक से जिला अस्पताल तक कोई भी एम्बुलेंश किसी भी दशा जाम में नही फसना चाहिए।

अवैध बस/टैक्सी स्टैण्ड के लिए कोई स्थान चिन्हित नही है जिसके लिए सभी ट्रासपोर्टर से मीटिंग कर लिया जाए कि चौराहों से 50 मीटर पहले ही अपनी गाड़िया लगाये। किसी भी दशा में चौराहों के आस पास गाड़िया नही होनी चाहिए। अवैध बस/टैक्सी स्टैण्ड के संचालन में किसी प्रकार की अवैध वसूली कि शिकायत न प्राप्त हो यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

इस मौके पर अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधिक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर, नगर पालिका अध्यक्ष, आरटीओ, रोडवेज आदि के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।